

कार्यालय अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड बून्दी

मार्ग के वन भूमि से गुजरने का प्रमाण – पत्र

प्रस्ताव का नाम : Up Gradation of Existing B.T. Road Under CUPL Scheme in Distt. Bundi  
Laxmipura to bundi km 0/0 to 10/0

यूजर एजेन्सी का नाम : EXECUTIVE ENGINEER PWD DIV. BUNDI

प्रस्ताव संख्या एवं पंजीकरण तिथि : FP/RJ/ROAD/40144/2019 dt. 07.05.2019

प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र : 1.92 ha. (Bundi)

प्रभावित जिला एवं वन मण्डल : Bundi distt. & BundiTerritorial

प्रमाणित किया जाता है कि लक्ष्मीपुरा से बून्दी सड़क कि.मी. 0/0 से 10/0 के लिए प्रस्तावित मार्ग संख्या 1 पूर्व प्रचलित रास्ते पर ही प्रस्तावित हैं जिसकी न्यूनतम वन क्षेत्र लम्बाई 1.82 कि.मी. है तथा न्यूनतम वन क्षेत्र 1.92 हेक्टर हैं जबकि वैकल्पिक मार्ग नं. 2 वन क्षेत्र की लम्बाई 2.17 कि.मी. है व 2.387 हेक्टर वन क्षेत्र हैं। वैकल्पिक मार्ग सं. 3 वन क्षेत्र की लम्बाई 2.25 कि.मी. है जिसमें वन क्षेत्र 2.475 हेक्टर है। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात ही उक्त सड़क का निर्माण करवाया जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित मार्ग संख्या 1 पर ही नयी स्वीकृत सड़क बनाई जावेगी।

क्र.सं.	मार्ग सं.	वन भूमि की लम्बाई (कि.मी.)	वन भूमि (हेक्टर)
1	1	1.82	1.92
2	2	2.170	2.250
3	3	2.48	2.48

अधिशाषी अभियंता  
सा.नि.वि. खण्ड बून्दी